चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 30.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 13 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i).प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी द्वारा अभियुक्त 1. रामप्रकाश उर्फ आरपी सिंह पुत्र रामकिशुन 2. चुनवाद पुत्र ददुआ 3.अशोक पुत्र चुनकूराम निवासीगण साहबतारा 4.शिवसेवक पुत्र रामबालाक निवासी खोपा 5. त्रिलोक पुत्र जयचन्द्र निवासी देवारी 6. राममिलन पुत्र देशराज निवासी बड़हर पुरवा मजरा सुरवल 7.चन्द्रभान पुत्र कामता निवासी बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ii).प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त 1.बलजीत कुमार पुत्र रंजीत कुमार निवासी द्वारिकापुरी कर्वी 2.पुष्पराज सिंह उर्फ राजू सिंह पुत्र त्रिपभुवन निवासी चकजाफर 3.छोटू पुत्र ननकू निवासी बनवारीपुर 4.प्रदीप जायसवाल पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी कोलगदहिया 5.सुशील कुशवाहा पुत्र देवीदान निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(iii).प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्याम प्रताप पटेल द्वारा अभियुक्त मनोज कुमार रैदास पुत्र कामता प्रसाद रैदास निवासी कस्बा व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचे वा कारतूसों के साथ गिरफ़्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्र तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी कृष्ण पाल सिंह, नवीन कुमार द्वारा अभियुक्त अभिराज सिंह पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा तथा उनके हमराही आरक्षी विनोद कुमार द्वारा अभियुक्त करन प्रसाद पुत्र चुनवाद निवासी चुनहा पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

(1).02 अदद तमंचे 315 बोर

(2).04 अदद कारतूस 315 बोर

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह के नेतृत्व में थाना मानिकपुर पुलिस ने गौकशी के 05 आरोपियों को अवैध तमंचे कारतूस व गौवध करने के औजारों के साथ गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.असलम पुत्र मुस्ताक निवासी मानिकपुर रुरल कस्बा थाना मानिकपुर चित्रकूट

2.मो0 हनीफ उर्फ राजू खान पुत्र हबीब खान निवासी शिवनगर थाना मानिकपुर चित्रकूट

3.सादिक खान पुत्र स्व0 कल्लू निवासी बरुवा स्योंदा थाना नरैनी जनपद बांदा हाल पता मानिकपुर रुरल कस्बा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

4.मकबूल पुत्र सगीर अहमद निवासी परई उग्रसेनपुर थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी

5.सुलेमान पुत्र अली हसन निवासी सिंहपुर थाना विसण्डा जनपद बांदा

बरामदगी-

(1).02 अदद तमंचा 315 बोर

(2).04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

(3).04 अदद लोहे के चापड़

(4).02 अदद चाकू

(5).01 अदद लकड़ी का बोटा

पंजीकृत मुकदमेः-

(1). मु0अ0सं0 55/2024 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम

(2).मु0अ0सं0 56/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट

(3).मु0अ0सं0 58/2024 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

स्थान- झरीं फाटक थाना मानिकपुर चित्रकूट, दिनाँक 29.03.2024 की शाम समय-17.45

स्थान- हनुवा तिराहा थाना मानिकपुर चित्रकूट, दिनाँक 30.03.2024 को दिन में समय-11.30

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 29.03.2024 को वादी श्री शिवनरेश पुत्र रामप्रसाद निवासी मानिकपुर रुलर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दी कि असलम आदि लोगों ने मेरी गाय को काटकर मार दिया है। इस सूचना पर थाना मानकिपुर में मु0अ0सं0 55/2024 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक मानकिपुर तथा उनकी टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी से दिनाँक 29.03.2024 को ही समय लगभग 17.45 बजे झर्री फाटक मानिकपुर से अभियुक्त 1.असलम पुत्र मुस्ताक निवासी मानिकपुर रुरल कस्बा थाना मानिकपुर चित्रकूट 2.मो0 हनीफ उर्फ राजू खान पुत्र हबीब खान निवासी शिवनगर थाना मानिकपुर चित्रकूट 3.सादिक खान पुत्र स्व0 कल्लू निवासी बरुवा स्योंदा थाना नरैनी जनपद बांदा हाल पता मानिकपुर रुरल कस्बा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की जामातलाशी से उनके के कब्जे से 02 अदद देशी तमंचे 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये तथा उनकी निशादेही पर गौवध करने में प्रयुक्त औजार 02 अदद लोहे के चापड़, 02 अदद चाकू बरामद व 01 अदद लकड़ी का बोटा बरामद किया गया। इसी क्रम में आज दिनाँक 30.03.2024 को समय करीब 11.30 बजे मुखबिर की सूचना पर हनुवा फाटक से अभियुक्त 4 मकबूल पुत्र सगीर अहमद निवासी परई उग्रसेनपुर थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशम्बी 5. सुलेमान पुत्र अली हसन निवासी सिंहपुर थाना विसण्डा जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी से अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद लोहे के चापड़ बरामद किये गये। अवैध शस्त्र व औजार बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 56/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 58/2024 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक मानकिपुर श्रीमती रीता सिंह
2.उ0नि0 श्री राजोल नागर
3.उ0नि0 श्री मुकेश परिहार
4.चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 यदुवीर सिंह
5.आरक्षी गजेन्द्र सिंह
6.आरक्षी दीपक कुमार
7.आरक्षी दीपेश कुमार
8.आरक्षी मनोज कुमार
9.आरक्षी अनुज कुमार
10.आरक्षी अजीज उद्दीन
11.आरक्षी अमित कुमार द्विवेदी

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वारण्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम व उनकी टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 196/19 धारा 354/506 भादवि0 वारण्टी अभियुक्त पंचू पासी पुत्र भजनिया पासी निवासी ग्राम टिकरा टोला कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। ,

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री इंद्रजीत गौतम
2. आरक्षी राहुल पांडेय

(7). जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनंद व पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मऊ,बरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत वल्नरेबल (असुरक्षित) बूथों प्राथमिक विद्यालय कल्चिहा मऊ, प्राथमिक विद्यालय बरगढ़ प्रथम, कंपोजिट विद्यालय हरदी कला मऊ, कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय खप्टिहा, इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय खन्डेहा का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने मतदेय स्थलों के निरीक्षण के दौरान कहा कि स्कूलों की दीवारों पर पेंटिंग कर बूथ की संख्या बूथ लेवल अधिकारी आदि का जो बोर्ड लगाए। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों को भी निर्देशित किया कि पानी बिजली, प्रकाश, छांव की व्यवस्था अच्छी कराएं, मृतक वोटरों को सूची से नाम हटाए। उन्होंने मतदाताओं से समस्या के बारे में

जानकारी लिए एवं निर्देशित भी किया की शांतिपूर्ण चुनाव कराए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी मऊ को निर्देशित किया कि जिन स्कूलों में रैंप नहीं है उसमें रैंप भी बनवाएं एवं कहा कि बूथ लेवल अधिकारी श्री अनुज कुमार प्राथमिक विद्यालय बरगढ़ प्रथम को जेंडर रेशियों बढ़ाने के लिए सम्मानित करें। जिलाधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारी को निर्देशित भी किया कि हर घर पर्ची बटनी चाहिए किसी के भरोसे ना छोड़े। जिलाधिकारी ने खनढेहा पंचायत भवन में ग्रामीण चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी लिए उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या है तो उसे अवगत कराएं आप लोग निर्भीक होकर मतदान करें। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोई भी विघ्न डालता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी कहा कि कोई डरता व धमकता है तो उसे चिन्हित करें।

जिलाधिकारी ने लोकसभा सामान निर्वाचन 2024 के संबंध में कहा कि वल्नरेबल स्थलों पर प्रशासन का विशेष फोकस कर रहा है उसी को लेकर जनपद में कुल 32 वल्नरेबल मत देयस्थल चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाताओं को भी प्रशासन लगातार चिन्हित कर रहा है जो चुनाव में खलल पैदा कर सकते हैं उन्होंने कहा कि मतदान के वक्त केंद्र पर वोट डालने की प्रक्रिया प्रभावित न हो सके और मतदाता स्वतंत्र होकर अपना वोट डाल सके इसके लिए प्रशासन प्राथमिकता पर कार्य कर रहा है बता दें कि जनपद में चिन्हित वल्नरेवल मतदाता केंद्रो पर वेब कास्टिंग और वीडियो ग्राफी भी गहनता से कराई जाएगी। जिला अधिकारी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का सक्त निर्देश है कि चुनाव चुनाव सुचिता पूर्ण व शांतिपूर्ण होनी चाहिए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर उप जिला अधिकारी मउ श्री राकेश कुमार पाठक, पुलिस क्षेत्राधिकार श्री जय करण सिंह, थाना प्रभारी बरगढ़ श्री राकेश मौर्य, तहसीलदार खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी सहित ग्राम प्रधान व बूथ लेवल अधिकारी भी उपस्थित थे।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोक सभा चुनाव -2024 को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कन्हैयाबक्श,उ0नि0 श्री इमरान खाँ व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजेश द्विवेदी पुत्र रामसजीवन द्विवेदी निवासी रामपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 08 किलो अवैध गांजा तथा 01 अदद टीवीएस स्टार मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 66/2024 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट व बिना नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल को 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

(1). 08 किलो सूखा गांजा

(2). 01 अदद मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री कन्हैयाबक्श
2. उ0नि0 श्री इमरान खाँ
3. आरक्षी अजय मिश्रा
4. आरक्षी शुभम मिश्रा

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोक-सभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 70 क्वार्टर देशी व 24 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(क). उ0नि0 श्री रमेश सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त बुद्धविलास पुत्र नरेश कुशवाहा निवासी ठाकुरदीन का पुरवा शिवरामपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 34 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना बरगढ़ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अंशु कुमार पुत्र शिवराम निवासी चम्पागढ़ थाना जवा जनपद रीवा म0प्र0 को 35 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ग). उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना रैपुरा तथा उनके हमराही द्वारा प्रदीप कुमार वर्मा पुत्र रामप्रताप निवासी फहीरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(घ). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्या चौकी सीतापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त जब्बर उर्फ जब्बार पुत्र स्व0 भीमसेन निषाद निवासी मलकाना थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 14 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(10). आज दिनाँक 30.03.024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में गुमशुदा/अपहृत/अपहृता की बरामदगी हेतु शेष अभियोगों से सम्बन्धित विवेचकों के साथ समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी तथा विवेचकों को अपहृत/अपहृता की बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए साथ ही दिनाँक 21.02.2024 को उपरोक्त के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा गोष्ठी में नियत किए गये 15 दिवस की अवधि में जनपद के जिन 08 विवेचकों द्वारा गुमशुदा/अपहृत/अपहृता की बरामदगी की गयी है को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री परितोष दीक्षित,वाचक कार्यालय में नियुक्त आरक्षी नीरज कुमार को मुकदमें की मॉनीटिरिंग एवं अभिलेखीयकरण हेतु एवं अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नियुक्त आरक्षी राजकुमार को जनपद में वीवीआई कार्यक्रम त्यौहारों आदि को सकुशल सम्पन्न कराने में पुलिस बल की ड्यूटी व्यवस्थापन हेतु प्रशस्ति पत्र दिया गया।

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वारण्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता व उनकी टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 405/013 धारा 457,380 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मैकु उर्फ बचनिया उर्फ बच्चन पुत्र रामप्रसाद निवासी तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। ,

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार
2.आरक्षी सुरेन्द्र
3.आरक्षी इस्लाम

(12). आज दिनांक 30.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह की उपस्थिति में कस्बा मानिकपुर में थाना मानिकपुर पुलिस बल एवं सशस्त्र सीमा बल के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया। इस दौरान आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें।

(13). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश चतुर्थ श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 486/2020 धारा 41,411,413,467,468,471 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.राजेश यादव उर्फ थोपू पुत्र विजय यादव निवासी पुरानी बाजार कर्वी 2.प्रवीण उर्फ पारस पुत्र प्रेमशंकर निवासी भभेट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(14). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश चतुर्थ श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2021 धारा 304/323/504/506/325 भादवि0 के

आरोपी अभियुक्त 1. शिवप्रसाद पुत्र बुद्धू 2. सुरेश पुत्र बुद्धू 3. रामलखन पुत्र झुल्लूराम 4. प्रकाश चंद्र कुशवाहा पुत्र शिवप्रसाद निवासीगण बरमपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,09000 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 28.02.2021 को वादी रामचन्द्र पुत्र स्व0 सीताराम कुशवाहा निवासी बरमपुर सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा रास्ते के विवाद को लेकर वादी रामचन्द्र, राजाराम,भूरी एवं वादी के भाई जियालाल उर्फ लालाभाई के साथ मारपीट करना जिसमें दौरान इलाज वादी के भाई जियालाल उर्फ लालाभाई की मृत्यू हो जाना इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 74/2021 धारा 304/323/504/506/325 भादवि0 पंजीकृत किया गया । तत्कालीन उ0नि श्री रामवीर सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनाँक 27.10.2021 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

(15). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश चतुर्थ श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत एनसीआर नं0 46/2021 धारा 323/504/506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 सीताराम कुशवाहा 2. राजाराम पुत्र स्व0 सीताराम कुशवाहा निवासीगण बरमपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 12000 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 20.02.2021 को वादी शिवप्रसाद पुत्र बुद्धू निवासी बरमपुर सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा रास्ते के विवाद को लेकर वादी व वादी के परिजन के साथ मारपीट करना इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में एनसीआर नं0 46/2021 धारा 323/504/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया । तत्कालीन उ0नि श्री रामवीर सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनाँक 31.12.2021 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।